

कार्यान्वयन नीतियां, प्रबंधन संरचना एवं संसाधन जुटाना

क्षेत्रीय योजना-2001 की समीक्षक समिति ने यह टिप्पणी करी थी कि विकास के लिए टुकड़ों में काम करने की पद्धति और तदर्थ आधार पर निर्णय लेने पर रोक लगानी चाहिए और कार्यक्रम की समयबद्ध तथा चरणबद्ध तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है।

इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय योजना-2021 की कार्यनीतियां बनाई गई तथा योजना में प्रस्तावित भिन्न नीतियों के अनुकूल कार्यान्वयन के लिए तदनुकूल किया गया । पहली तरह की कार्यनीति उन अभिकरणों को अभिज्ञात करना जो की नीति कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार है तािक स्वयं के अपने अधिनियमों और नियमों में अनुबंधों के जिए उनके कार्यान्वित करने के से संबंधित है । दूसरी कार्यनीति क्षेत्र में अवसंरचना उन्नयन के लिए कार्य योजना तैयार करने, उसके कार्यान्वयन के लिए उनकी लागत और चरणों के साथ ही इन लागतों को पंच-वर्षीय योजनाओं में क्रमवेशन से संबंधित है । जैसे क्षेत्रीय योजना-2021 में परिकल्पित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र एक सिक्रय भूमिका निभाने को भी परिकल्पित किया गया है ।

19.1 कार्यान्वयन कार्यनीतियां

जैसा उपरिलिखित है, प्रत्येक क्षेत्र जैसे जनसांख्यिकीय एवं सेटलमेन्ट पैटर्न, आर्थिक आधार, ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय भूमि उपयोग, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन तथा धरोहर एवं पर्यटन की कार्यनीतियों का ब्यौरा सारणी में अनुलग्नक 19/I पर दिया गया है, जिसमें विभिन्न कार्यान्वित अभिकरणों जो उनमें अभिज्ञात नीतियों और कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं की भी पहचान की गई है । क्षेत्र में नगरीय अवसंरचना के उन्नयन के लिए कार्यनीतियां के साथ प्रस्तावित कार्य योजना, उनके कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात अभिकरणों तथा पंच-वर्षीय योजनाओं के साथ चरणों का क्रमवेशन जिसका ब्यौरा अनुलग्नक 7/I, 8/II और 9/II की सारणियों में दिया गया है । इसमें विद्युत, जल, मल-जल व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं ।

जनसांख्यिकीय एवं सेटलमेन्ट पैटर्न कार्यनीति में जैसे क्षेत्रीय योजना-2021 में संकल्पित अभिज्ञात बस्तियों में जनसंख्या निर्धारण को उप-क्षेत्रीय/जिला/महा योजनाओं के साथ क्रमवेशन पर बल दिया है । संबंधित राज्य सरकारों तथा विकास प्राधिकरणों जो इन योजनाओं को तैयार करेंगी निर्धारित जनसंख्या के अनुसार नगर की भावी आवश्यकताओं की योजना के लिए विस्तृत कार्यनीतियां और प्रकार्य निर्धारण आदि बनाने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है । यदि आवश्यक हो जनगणना 2011 के आंकड़े तथा भावी पूर्वानुमानों के आधारों पर निर्धारित जनसंख्या की अगली समीक्षा करी जाएगी और संशोधित करेंगे । अनुलग्नक 19/I पर दी गई तालिका में, सभी क्षेत्रों की मुख्य नीतियों और कार्य नीतियों के साथ उनको कार्यान्वित करने के लिए ज़िम्मेदार अभिकरणों की पहचान की गई है ।

योजना में दिल्ली के हित में उसकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली में थोक व्यापार बाजार विकसित करने की कार्यनीति प्रस्तावित है । आर्थिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण अनिवार्य है । दिल्ली से बाहर के क्षेत्र में संबंधित अभिकरणों द्वारा अपनी-अपनी राज्य सरकारों के लिए संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के रूप में वैकल्पिक थोक बाजार विकसित किये जाने चाहिए ।

एन.सी.टी.-दिल्ली से उद्योगों के विकेन्द्रीकरण पर नीति के संबंध में, एन.सी.टी.-दिल्ली के अंदर तथा मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में केवल उच्च-प्रौद्योगिकी को अनुमति दी जानी चाहिए । निम्न-प्रौद्योगिकी उद्योगों को उच्च-प्रौद्योगिकी में परिवर्तित



IMPLEMENTATION STRATEGIES, MANAGEMENT STRUCTURE AND RESOURCE MOBILISATION

The Committee which reviewed the Regional Plan-2001 had observed that the practice of piecemeal and ad hoc decisions for development should be stopped and the programme needs to be prepared with a time schedule and phasing.

Keeping these observations in view, the strategies for the Regional Plan-2021 have been formulated and tailor-made to suit implementation of different policies proposed in the Plan. The first kind of Strategy is related to the policy implementation by identifying the agencies responsible to implement the same through the provisions in their own acts and rules. The second strategy is related to the preparation of a plan of action for infrastructure up-gradation in the region, its costing and phasing for its implementation along with dovetailing these costs with five-year plans. It is also envisaged that there will be an active role of the private sector in implementation of various projects as envisaged in the Regional Plan-2021.

19.1 IMPLEMENTATION STRATEGIES

As stated above, the strategies for each sector such as demography and settlement pattern, economic base, rural development, regional landuse, environment, disaster management and heritage and tourism has been detailed out in the Table at Annexure 19/I, which also identifies the various implementing agencies that would be responsible for implementing the policies and strategies identified therein. Strategies for upgradation of civic infrastructure in the region along with the plan of action, identification of the agencies for its implementation and dovetailing the phasing with five-year plans has been proposed which have been detailed out in Tables at Annexures 7/I, 8/II and 9/II. This includes sectors such as power, water, sewerage, solid waste management, etc.

The strategy on demography and settlement pattern emphasizes on dovetailing the population assignments of the identified settlements as envisaged in the Regional Plan-2021 with the Sub-regional/District/Master Plans. It would be the primary responsibility of the concerned State governments and the development authorities who are preparing these Plans to work out the detailed strategies and assign the functions etc., as per the assigned population for the planning of the town's future requirements. The population assignment would be further reviewed and modified if required based on the Census 2011 data and further projections. The table given at Annexure 19/I, identifies the broad policies and the strategies for all the sectors along with the agencies responsible for implementing them.

The strategy proposed in the plan for developing wholesale markets in Delhi to meet its own requirements is in the interest of Delhi. Decentralization of economic activities is essential. Alternative wholesale markets be developed in the region outside Delhi by the concerned agencies of the respective State Governments as joint venture projects.

With regards to the policy on decentralization of industries from NCT-Delhi, it is emphasized that only hi-tech industries be allowed within NCT-Delhi and in the existing industrial areas. Low-tech industries

किया जाना चाहिए और जो यह करने में असक्षम है, चरणबद्ध तरीके से एन.सी.टी.-दिल्ली से बाहर पुनःस्थापित करना चाहिए। उप-क्षेत्रीय केन्द्रों में चरणबद्ध रूप से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए तथा संबंधित राज्य सरकारों को इन स्थानों में इकाईयों को लगाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन की व्यवस्था करनी चाहिए। संबंधित राज्य सरकारों के औद्योगिक विकास प्राधिकरण/निगमों, औद्योगिक रूपरेखा नक्शे तैयार करेगी तथा राज्य की संबंधित औद्योगिक नीतियों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशों का क्रमवेशन करेगी।

कर संरचना को तर्कसंगत करना, समान वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाएं विस्तृत करना, टैक्सियों और आटो-रिक्शा की आवागमन पर अंतर्राज्यीय प्रतिबंध दूर करना, एक समान दूरसंचार सेवाएं तथा समान बिजली आपूर्ति मुहैया करना, एकीकृत शिक्षा नीति होना और अंततः एकीकृत कानून व व्यवस्था यंत्रावली होने की ज़रूरत है । इस प्रकार तर्कसंगतीकरण से समग्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा । भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय और राज्य सरकारें अपनी-अपनी नीतियों को समय-सीमा के अंदर कार्यान्वित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगी ।

क्षेत्रीय योजना-2001 के कार्यान्वयन में एक मुख्य समस्या का सामना करना पड़ा कृषि भूमि को अनियमित तरीके से गैर-कृषीय उपयोगों में परिवर्तन करना था । क्षेत्रीय योजना-2021 में इस समस्या को बहुत गंभीरता से लिया गया है ।

क्षेत्रीय भूमि उपयोग नीति 2021 प्राकृतिक संरक्षण, उच्च विकास दबाव, आदि समस्याओं को भी संबोधित करता है तथा संबंधित राज्यों तथा नगरों में उप-क्षेत्रीय योजना और महा योजना में अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबिंबित किया जाएगा। पर्यावरण एवं वन विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, संबंधित राज्य विभागों के कार्यालयों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के साथ परामर्श करके उप-क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक विशेषताओं जैसे रिज़ों, निदयों, नहरों, पेलियो-चैनलों आदि के पिरस्क्षण की दशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में किसी भी प्राकृतिक आकृति के छोर से एक न्यूनतम दूरी को स्थायी तौर पर 'विकास वर्जित ज़ोन' सीमांकित करना चाहिए । यह न केवल प्राकृतिक संसाधनों के पिरस्क्षण को सुनिश्चित करेगा बल्कि इस क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन भी बनाएगा ।

क्षेत्रीय योजना-2021 में ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन तथा धरोहर एवं पर्यटन विकास पर भी बल दिया गया है जहां स्थानीय सरकार ऐसी योजना तैयार करेंगी जिसको उपलब्ध संसाधनों के साथ अभिसरित करेंगी और उन्हें प्राथमिकता देंगी जो कि जिला विकास योजनाओं में सम्मिलित किया जा सके । आपदा प्रबंधन के लिए उनके विकास नियंत्रण नियमों में विस्तृत दिशा-निर्देश मृहैया कराना सभी विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों के लिए ज़रूरी होगा ।

क्षेत्र में संपर्कों और समस्त अवसंरचना में सुधार को महत्व दिया गया है । अवसंरचना में परिवहन नेटवर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो लंबे अंतराल में आर्थिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण में सहायक होगी जो अभी वर्तमान में एन.सी.टी.-दिल्ली में संकेन्द्रित हैं । वस्तुतः, कुशल परिवहन प्रणाली एन.सी.टी.-दिल्ली शहरी क्षेत्र के बाहर स्थित आवासीय और वाणिज्यिक कालोनियों के विकास में भी सहायक होगी । अतः, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, परिधीय और गाजियाबाद-मेरठ द्रुतमार्गों बनाने का प्रस्ताव रखा है । प्रवेश पर आंशिक नियंत्रण के अंतर्बदल के जरिए प्रमुख सड़कों से इन द्रुतमार्गों के प्रवेश को प्रबंधित किया जाएगा। योजना में अभिज्ञात प्राथमिक नेटवर्क को कम से कम चार लेन विभाजित परिवहन मार्ग को तत्काल उन्नयन प्रस्तावित है तथा आगे उनको यातायात मात्रा में बढ़ोतरी के ऊपर निर्भर करते हुए चरणबद्ध तरीके से चौड़ा करा जाएगा । इसके साथ ही, यात्री यात्रा के लिए क्षेत्र के प्रमुख नगरों के साथ एन.सी.टी.-दिल्ली को जोड़ने के लिए तीव्र क्षेत्रीय पारगमन प्रणाली का प्रस्ताव है । इसमें या दो अतिरिक्त समर्पित लाईन लगानी होंगी अथवा मौजूदा रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ करना होगा ।

विद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र के लिए विद्युत की भावी मांग वर्ष 2021 तक 34,444 मेगावाट का पूर्वानुमान किया गया है तथा क्षेत्र में विद्युत उत्पादन और संचारण एवं वितरण को सुधारने/संवर्धन के लिए नीतियों का सुझाव दिया गया है । यह प्रस्ताव है कि बेहतर भार प्रबंधन के लिए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) और संबंधित विद्युत उपयोगिताओं (यूटीलिटीस) कम्पनियां, योजना की समीक्षा कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए नई दिल्ली नगर निगम/दिल्ली के बाद दूसरे स्तर के आइलैंड के रूप में एक आइलैंडिंग योजना बनायेंगी और इसे लागू करेंगी । संबंधित राज्य सरकारें भी तकनीकी तथा

be transformed into hi-tech and those which are unable to do so, be phased out to be relocated outside NCT-Delhi. Sub-regional Centres should develop phase wise industrial areas and the State Government concerned should provide adequate incentives for the setting up of units in these places. The Industrial development authorities/corporations of the concerned State Government will prepare industrial lay out plans and will dovetail the concerned industrial policies of the State and the directions of the State Pollution Control Board.

There is a need to rationalize the tax structure, extend uniform financial and banking services, remove restriction of interstate movement of taxis and auto rickshaws, to provide uniform telecom facilities and uniform power supply, to have an integrated education policy and finally also to have an integrated law and order machinery. This rationalization would ensure the balanced development in the entire National Capital Region. The concerned Ministries of the Government of India and the State Government would be responsible to implement the respective policies within a time frame.

One of the major problems faced in the implementation of the Regional Plan-2001 was the conversion of agricultural land into non-agricultural uses at random. A serious note has been taken with regard to this menace in the Regional Plan-2021.

The regional land use policy 2021 also addresses the issues of natural conservation, high development pressure, etc. and their details would be reflected in the Sub-regional Plan and Master Plan of the concerned States and towns by the respective state governments. As an important step towards preservation of natural features such as ridges, rivers, streams, paleo-channels, etc., a minimum distance from the edge of any of the natural feature be demarcated permanently as a 'No Development Zone' at the Sub-regional and local levels in consultation with the Department of Environment and Forests, Central Ground Water Board, offices of the concerned State Departments and NCRPB. This would ensure not only preservation of natural resources but would also maintain the ecological balance in the area.

The Regional Plan-2021 has also placed emphasis on rural development, disaster management and heritage & tourism development wherein the local government would prepare such Plan converging it with the available resources and by giving priorities which can be incorporated in the District Development Plans. It is necessary for all development authorities/municipal corporations to provide detailed guidelines in their Development Control Rules for disaster management.

Emphasis has been given to improve the connectivity and overall infrastructure in the region. Among the infrastructure, transportation networks are the most important which will in the long run help in decentralizing the economic activities, which is at present concentrated in NCT-Delhi. As a matter of fact, efficient transportation system will also help in development of residential and commercial colonies outside NCT-Delhi urban area. Therefore, in view of the above, Peripheral and Ghaziabad-Meerut expressways has been proposed. The access to these Expressways will be provided from the major roads through interchanges with partial control on access. Primary network identified in the Plan is proposed to be upgraded to at least four lane divided carriageway immediately and they are further to be widened depending upon increase in the traffic volume in phased manner. In addition, a Regional Rapid Transit System connecting NCT-Delhi with major towns in the region for the commuter travel has been proposed. This will involve either laying of two additional dedicated tracks or strengthening of the existing railway network.

In the power sector, future demand of power for the region has been projected as 34,444 MW by the year 2021 and policies have been suggested to improve/augment power generation and transmission & distribution in the region. It is proposed that an islanding scheme for NCR as second level of island after NDMC/Delhi will be prepared by the CEA and State power utilities concerned after revisiting the system which will be implemented by the concerned power utility companies for better load management. State

वाणिज्यिक हानियों का पता लगाने के लिए समय-समय पर लेखा-परीक्षा करेंगी जिससे संचारण और वितरण प्रणाली में नियमित आधार पर सुधार करने में सहायता मिलेगी । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के मामलों का निरक्षण करने और क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वसनीयता के संबंध में सिफारिशें करने के लिए विद्युत मंत्रालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तरी क्षेत्र विद्युत बोर्ड के भीतर उप-समूह सृजित करना चाहिए।

जल क्षेत्र में, क्षेत्र की पेय जल आपूर्ति की समग्र स्थिति में सुधार लाने के लिए क्षेत्र के जल संसाधनों का ब्लू प्रिंट और क्षेत्र में पेय जल आपूर्ति में संवर्धन करने के लिए एकीकृत क्षेत्रीय योजना तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2021 तक क्षेत्र में कुल पेय जल मांग लगभग 12,000 एमएलडी हो जाएगी। इसके अलावा, मानक और मानदंड, भूमिगत जल की प्रतिपूर्ति करने के लिए भूमि क्षेत्रों की पहचान और उसके सुरक्षा के लिए नीतियां, गैर-पेय उपयोगों के लिए अपशिष्ट जल की रिसाइक्लिंग, पानी का उपयोग करने वाले उद्योगों का पुनःस्थापन, शुल्कों में वाणिज्यिक दृष्टिकोण, जन जागरुकता पैदा करना, पानी की गुणवत्ता आदि प्रस्ताव रखे गए हैं।

मल-जल व्यवस्था प्रणाली और उसके शोधन सुविधा में सुधार करने, ठोस कचरा प्रबंधन, जल-निकासी और सिंचाई के लिए नीतियां और कार्यनीतियां प्रस्तावित की गई हैं।

क्षेत्रीय योजना में, अवसंरचना नीतियों और प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तथा उन्हें पंच-वर्षीय योजनाओं के साथ क्रमवेशन करने के लिए भी प्रस्ताव रखे गए हैं । इन नीतियों और प्रस्तावों के कार्यान्वयन से क्षेत्र में जीवनशैली में समग्र रूप से सुधार होगा और क्षेत्र के संतुलित और सुव्यवस्थित विकास में भी सहायता होगी ।

19.2 प्रबंधन संरचना

उपर्युक्त नीतियों और कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए, योजना प्रस्तावों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए और परियोजनाओं की उपयुक्त निगरानी के लिए कुशल प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है । प्रबंधन संरचना और प्रत्येक निकाय की भूमिका निम्नलिखित है:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के स्तर पर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 में बोर्ड के विभिन्न प्रकार्य निर्दिष्ट हैं । प्रमुख प्रकार्य में क्षेत्रीय योजना तथा प्रकार्यात्मक योजना तैयार करना तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के जिरए और राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यान्वित अभिकरणों के द्वारा उप-क्षेत्रीय स्तर पर उप-क्षेत्रीय योजनाओं तथा परियोजना योजनाओं को तैयार करने के लिए व्यवस्थित करना हैं । बोर्ड केन्द्रीयकृत आंकड़ा संचय सृजित करना, संयुक्त क्षेत्र/संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में स्वयं को सहभागी नियुक्त करना और संघटक राज्यों एवं संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही क्षेत्रीय योजना-2021, प्रकार्यात्मक योजना, उप-क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजना योजनाओं की नीतियों और प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी है ।

राज्य/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कक्ष के स्तर पर

राज्य सरकार की भूमिका राज्य सूची में सूचीबद्ध गतिविधियों के तहत शासित है और इसके अलावा वह राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कक्ष और कार्यान्वयन अभिकरणों को सभी प्रकार के पर्याप्त संसाधनों से सहायता करेगी और उनकी राज्य नीतियों को क्षेत्रीय योजना की नीतियों के साथ क्रमवेशन करेंगी।

राज्य सरकारों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कक्ष की भूमिका निम्नानुसार होगीः

- i) उप-क्षेत्रीय योजना-2021 और महा योजना तैयार करना ।
- ii) क्षेत्रीय योजना-2021 के प्रबंधों के अनुसार जिला योजनाओं को तैयार करने को सुनिश्चित/समन्वित करना ।

Governments concerned will also carry out periodic audit for identification of technical and commercial losses, which will help in improving the transmission and distribution system on a regular basis. A Subgroup in the Northern Region Electricity Board be created for NCR by the Ministry of Power to oversee the power supply issues in the NCR and make recommendations regarding quality and reliability of power supply in the region.

In the water sector, in order to improve the overall situation of the drinking water supply in the region a blue print for water resources in the region and an integrated regional scheme has been proposed to be prepared to augment drinking water supply in the region. Total drinking water demand in the region by the year 2021 will be about 12,000 mld. Apart from this, norms and standards, identification of land areas for ground water recharging and policies for their protection, recycling of waste water for non-drinking uses, relocation of water consuming industries, commercial approach for tariff, creation of mass awareness, quality of water etc. have been proposed.

Policies and strategies for improvement of sewerage system and its treatment facility, solid waste management, drainage and irrigation have been proposed.

In the Regional Plan, a plan of action for implementation of infrastructure policies & proposals and their dovetailing with five-year plans has also been proposed. Implementation of these policies and proposals will improve the overall quality of life in the region and will help in balanced and harmonized development in the region.

19.2 MANAGEMENT STRUCTURE

In order to implement the above mentioned policies and strategies, it is required to have an efficient management system for speedy implementation of the Plan proposals and for proper monitoring of the projects. The management structure and role of each body can be as follows:

NCRPB Level

The NCRPB Act, 1985 stipulates various functions of the Board. The major functions are to prepare the Regional Plan and Functional Plans and to arrange for preparation of the Sub-regional Plans at the Sub-regional level and Project Plans by the State Governments and their implementing agencies and through concerned Central Ministries. The Board also is responsible to create a centralized database, to engage itself as partner in Joint sector/Joint venture projects and to monitor the implementation of policies and proposals of Regional Plan-2021, Functional Plans, Sub-regional Plans and Project Plans which are being implemented by constituent States and concerned Central Ministries.

State/NCR Cell Level

The role of the State Government is governed by the activities listed in the State list and further it will support the State NCR Cell and the implementing agencies by providing adequate resources of all types and their State policies be dovetailed with the Policies of the Regional Plan.

The Role of State Governments/NCR Cell will be as follows:

- i) Preparation of Sub-regional Plan-2021 and Master Plans.
- ii) Ensure/coordinate preparation of district plans as per the provisions of Regional Plan-2021.

- iii) उप-क्षेत्रों के सभी नगरों के लिए पानी, मल-जल व्यवस्था, ठोस कचरा एवं जल-निकासी के लिए महा योजनाओं को तैयार करने को सुनिश्चित करना।
- iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का परियोजना नियोजन एवं निगरानी करना ।
- v) क्षेत्रीय योजना-2021 में दिए गए विवरणानुसार सांझा आर्थिक जोन से संबंधित नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- vi) क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों और प्रस्तावों, क्षेत्रीय योजना-2021 के प्रबंधों के अनुसार तैयार किए गए उप-क्षेत्रीय योजनाओं तथा अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ।
- vii) राज्य बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए उप-घटक योजनाओं को तैयार करने को सुनिश्चित करना ।
- viii) ग्रामीण विकास योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ।
- ix) उप-क्षेत्रीय स्तर पर आंकड़ा संचय और एम.ई. प्रणाली का सृजन करना ।
- x) नीति एवं नियोजन दल का गठन करना ।

राज्य विभागों तथा अभिकरणों के स्तर पर

राज्य विभागों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों की भूमिका निम्नलिखित होगीः

- i) क्षेत्रीय योजना-2021 और उप-क्षेत्रीय योजना के साथ संगति में और 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के अनुरूप जिला योजनाएं तैयार करवाना ।
- ii) 2021 परिप्रेक्षय तक के लिए सभी नगरों की महा योजना तैयार करने को सुनिश्चित करना ।
- iii) नगर स्तर पर जल आपूर्ति, मल-जल व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए महा योजना तैयार करना ।
- iv) क्षेत्रीय योजना-2021, उप-क्षेत्रीय योजनाओं और महा योजनाओं के निदेशानुसार परियोजनाएं और प्रस्तावों को तैयार करना तथा उनको क्रियान्वित करना ।

केन्द्रीय मंत्रालयों के स्तर पर

केन्द्रीय सरकार की भूमिका सभी स्तरों पर सब तरह के पर्याप्त संसाधनों को मुहैया करा कर ज्यादातर सहायक कर्ता के रूप में होगी । वह निम्न के लिए भी जिम्मेदार होंगेः

- i) क्षेत्रीय योजना-2021 के साथ अनुरूपता रख कर उप-घटक योजना को तैयार और कार्यान्वयन करना ।
- ii) क्षेत्रीय योजना-2021 में नीतियों, प्रस्तावों और परियोजनाओं के प्रमुख आकर्षणों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ।

मुद्दे और नीतियां

i) क्योंिक उसके सीमित अधिकारों और क्षेत्राधिकार की वजह से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के व्यापक प्रबंधन का कार्य नहीं ले सकता है । यह, अतः, न केवल शहरी विकास मंत्रालय बल्कि अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, संघटक राज्य सरकारों, उनके स्थानीय निकायों आदि जिनके पास स्वयं अपने क्षेत्राधिकार के अधिकार हैं से सहायता की आवश्यकता है ।

- iii) Ensure preparation of Master Plans for water, sewerage, solid waste and drainage for all the towns in the Sub-regions.
- iv) Project Planning and Monitoring of NCRPB funded Projects.
- v) Ensure implementation of policies related to Common economic zone as detailed out in Regional Plan-2021.
- vi) Ensure implementation of Regional Plan-2021 policies & proposals, Sub-regional Plan and other Plans prepared as per the provisions of Regional Plan-2021.
- vii) Ensure preparation of Sub-component Plans for various sectors in the State budget.
- viii) Ensure preparation and implementation of Rural development Plans.
- ix) Creation of Database and ME System at Sub-regional Level.
- x) Creation of Policy and Planning Group.

State Departments and Agencies Level

The role of State departments and other implementing agencies will be:

- i) To get the District Plans prepared in consonance with the Regional Plan-2021 and the Sub-regional Plan and in accordance to the 73rd and 74th Constitutional Amendments.
- ii) To ensure preparation of Master Plans for all towns for the perspective of 2021.
- iii) To Prepare Master Plans for water supply, sewerage and solid waste management at town level.
- iv) To ensure preparation of Projects and proposals as per directions in Regional Plan-2021, Subregional Plans and Master Plans and implement the same.

Central Ministries Level

The role of the Central Government will be more of a supportive nature by providing adequate resources of all kinds at all levels. They will also be responsible for:

- i) Preparation and implementation of Sub-component Plan in conformity with the Regional Plan-2021
- ii) Ensuring implementation of the policies, proposals and projects highlighted in the Regional Plan-2021.

Issues and Policies

i) With its limited powers and jurisdiction, the NCRPB cannot take up the task of comprehensive management of implementation of the Regional Plan. It, therefore, requires the support not only from the Ministry of Urban Development but also from other Central Ministries, Planning Commission and constituent State Governments, their local bodies etc. who are having power under their own jurisdiction.

- ii) संबंधित राज्य स्तर पर प्रभावी निगरानी के लिए, यह प्रस्ताव है कि सचिव, शहरी विकास तथा रा.रा.क्षे. कक्ष के प्रभारी क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर सभी अभिकरणों के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे ।
- iii) यह प्रस्ताव है कि उप-क्षेत्रीय स्तर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समग्र योजना एवं विकास के लिए उप-क्षेत्रीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किया जाना चाहिए । इस संदर्भ में, यह भी प्रस्तावित है कि ऐसे प्राधिकरण की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकारें अपने अधिनियमों/नियमों में संशोधन करें ।
- iv) क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए एक बहु-शासित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें क्षेत्रीय योजना की नीतियों और कार्यनीतियों का बड़े स्तर पर समन्वय और निगरानी करना ही आवश्यक नहीं है बल्कि इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की निगरानी तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित भूमि उपयोग बदलाव मामलों का प्रत्यक्ष सत्यापन भी है । चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 33,578 वर्ग किलोमीटर है, संपूर्ण आंकड़ों की रचना करना जिसकी नियमित अंतराल पर उद्यतन की भी ज़रूरत है, एक बहुत कठिन कार्य है, जिसके फलस्वरूप बोर्ड के कार्यालय में उपलब्ध अल्प तकनीकी अधिकारी (कर्मचारी) के साथ समन्वयन और निगरानी करना बहुत कठिन है ।

इस समय, यहां एक मुख्य क्षेत्रीय नियोजक है, जो तकनीकी खण्ड के प्रधान हैं और सहायता के लिए तीन संयुक्त निदेशक, दो उप निदेशक, पांच सहायक निदेशक, एक नियोजन सहायक और एक अनुरेखक है । चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की भूमिका अच्छी प्रकार से परिभाषित है, तकनीकी जनशक्ति के दृष्टिकोण से, उसके सुदृढ़ीकरण की ज़रूरत है । अभी एक मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, एक अपर मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, चार संयुक्त निदेशक (तकनीकी), आठ उप निदेशक (तकनीकी), सोलह सहायक निदेशक (तकनीकी), चार योजना सहायक और दो अनुरेखक (ग्रेड-III)/तकनीकी सहायक का प्रस्ताव है । संस्वीकृत संख्या, प्रस्तावित संख्या और अधिकारियों की अतिरिक्त आवश्यक संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक 19/II में दिया गया है । तकनीकी अधिकारियों की बढ़ी संख्या के आधार पर, वित्त तथा प्रशासनिक खण्डों में सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता को पर्याप्त मात्रा में सुदृढ़ बनाया जाएगा ।

- ए) सुगमीकरण कदम के रूप में तथा प्रोत्साहन के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित कर प्रेरित करने के लिए, क्षेत्रीय अवसंरचना जैसे सड़क एवं रेल नेटवर्क, द्रुतमार्गों के लिए भूमि जुटाना, उच्च शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाओं की सामाजिक अवसंरचना, आवास की कम से कम कुछ प्रारंभिक चरणों के कार्यान्वयन में सरकारी क्षेत्र को नेतृत्व लेना ज़रूरी है और नीति विनियमों एवं अनुसंधान व विकास जैसी मूलभूत सहायक सुविधाओं को मुहैया कराना चाहिए । यह संभवतः निजी क्षेत्रों को कदम लेने तथा औद्योगिक, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के आर्थिक अवसंरचना को स्थापित करने और विभिन्न अवसंरचना घटकों के निर्माण, प्रचालन और प्रबंधन वर्गों को संभालने में सहायता करेंगे ।
- vi) हालांकि सामान्यतः यह अपेक्षित होगा कि निजी क्षेत्र के जिए वित्तपोषित होने वाली पिरकिल्पित पिरयोजनाएं काफी लाभकारी और पर्याप्त अतिरिक्त पुनर्निवेशों को उत्पन्न करने की क्षमता हो, पर इसमें यह संभव है कि पिरयोजनाओं के कुछ एक घटक अपने से स्वयं इतना पर्याप्त प्रतिफल न दें सकें जो कि वाणिज्यिक रूप से सक्षम हों । तुलनात्मक दृष्टि से कम एफ.आई.आर.आर. वाले ऐसे पिरयोजना घटकों को उच्च प्रतिफल दर वाले अन्य पिरयोजना घटकों के साथ एक साथ मिला देना चाहिए तािक दोनों के मिश्रिम लाभ से सम्पूर्ण पिरयोजना को सक्षम बनाया जा सके । उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रस्तािवत द्रुतगामी बी.ओ.टी. के आधार पर निर्माण पिरचालन अंतरण आधार पर निजी क्षेत्र के माध्यम से लेने से सिर्फ अकेले उपभोक्ता शुल्कों से अर्थात् चुंगी कर के आधार पर अत्यंत उच्च प्रतिफल उत्पन्न नहीं हो सकते हैं तथा, उनके एफ.आई.आर.आर. में सुधार के लिए, कुछ अतिरिक्त भूमि के भूखंडों के लिए विकास अधिकार प्रबंधित कराने होंगे ।
- vii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के सक्रिय रूप से सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करने के लिए भागीदारी को और उनके निरंतर सहभागिता को कायम रखने के लिए, उनके प्रतिपक्ष सरकारी अभिकरणों के साथ पारस्परिक विश्वास और सहयोग का वातावरण पूर्व-आपेक्षित है ।

- ii) In order to have an effective monitoring at the State level, it is suggested that Secretary, Urban Development and In-charge of the NCR Cell should be responsible to coordinate among all the agencies at the State level for implementing the schemes as proposed in the Regional Plan-2021.
- iii) It is proposed that a Sub-regional Area Development Authority be created for overall planning and development of urban and rural areas at the Sub-regional level. In this context, it is also proposed that the State Government concerned to amend their acts/rules for creating such an Authority.
- iv) The implementation of Regional Plan requires a multi-disciplinary approach, which involves tremendous amount of coordination and monitoring not only of the policies and strategies of the Regional Plan but also the physical verification of the change of landuse cases approved by the Board and monitoring of the projects funded by the NCRPB. Since the total area of the National Capital Region is 33,578 sq kms, creation of adequate database which needs to be regularly updated as well, becomes a herculean task, thereby it has become very difficult to coordinate and monitor with the meagre technical staff available in the Board's office.

At present, there is one Chief Regional Planner, head of the Technical wing and is assisted by three Joint Directors, two Deputy Directors, five Assistant Directors, one Planning Assistant and one Tracer. Since the role of the NCRPB is well defined, there is a need to strengthen it from technical manpower point of view. Now, it is proposed to have one Chief Regional Planner, one Additional Chief Regional Planner, four Joint Directors (Technical), eight Deputy Directors (Technical), sixteen Assistant Directors (Technical), four Planning Assistants and two Draughtsman (Grade-III)/Technical Assistants. Details of sanctioned strength, proposed strength and additional required strength of officers have been given in Annexure 19/II. Based on the strengthening of the technical staff, the requirement of support staff in finance and administration wings will have to be strengthened adequately.

- v) As a facilitative step and also as an incentive to motivate the private sector entrepreneurs to be involved in the development programmes in the NCR, it would be necessary for the public sector to take the lead in the implementation of at least certain preliminary stages of regional infrastructure, like road and rail network, assembling land for expressways, social infrastructure of higher educational and medical institutions, shelter, and provide essential support facilities like R&D and policy regulations. This would possibly help the private sector to step in and establish economic infrastructure of industrial, trading and commercial activities and handle the construction, operation and management segments of various infrastructure components.
- vi) Though normally it would be expected that the projects envisaged to be funded through private sector are remunerative enough and capable of generating sufficient reinvestible surpluses, it may be possible that a few components of projects may not give sufficient returns on their own to become commercially viable. Such project components with comparatively lower FIRR's may have to be clubbed together with other project components which may have higher rate of returns so that the composite profits of the two could make the whole project viable. As an example, the expressways proposed to be taken up through the private sector on BOT basis in the NCR may not yield a very high return simply on the basis of user charges alone i.e., toll rates and, for improving their FIRR's, development rights for certain additional pockets of land may have to be provided.
- vii) For encouraging the private sector to actively involve in the development programmes in the NCR and in order to sustain their continued participation, a climate of mutual trust and cooperation with their counterpart public agencies are pre-requisites.

अतः तत्काल उपायों की आवश्यकता है :

- प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में निजी उद्यमियों के प्रवेश और प्रकार्यों के लिए स्थिर और पारदर्शी कार्यालय नीतियां को विकसित करना चाहिए
- विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी अनुमति की प्रक्रिया के लिए एकल विंडो प्रणाली स्थापित करना चाहिए
- स्वतंत्र विनियमात्मक यंत्रावली को अपनाना
- विकास परियोजनाओं में सम्मिलित निजी और सरकारी अभिकरणों के बीच विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए रूपात्मकताओं का सृजन करना
- विभिन्न परियोजना घटकों के लक्षित लाभार्थियों (उपभोक्ताओं) की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए यंत्रावली स्थापित करना

निजी क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित घटक लिए जा सकते हैं, कुछ अनन्य रूप से तथा कुछ अन्य संयुक्त रूप से केन्द्रीय और राज्य अभिकरणों के साथ:

- अभिग्रहण और भूमि का विकास
- उद्योग तथा थोक व्यापार
- सामाजिक अवसंरचना, स्थानीय तथा मुख्य (ट्रंक) सेवाएं
- खण्ड आवास का निर्माण
- द्रुतमार्गों का निर्माण
- जन परिवहन प्रणाली
- विद्युत उत्पादन
- विद्युत संचारण तथा वितरण
- दूरसंचार सेवाएं

19.3 संसाधन संग्रहण

योजना की सफलता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक संसाधनों की उपलब्धता है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की सफलता के लिए विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करना बहुत महत्वपूर्ण है । इसलिए परिवहन, विद्युत, जल और दूरसंचार जैसी अवसंरचना में तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में बड़ा पूंजी निवेश ज़रूरी है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास गतिविधियों के लिए निधि मुख्यता चार स्रोतों से उपलब्ध हैः

- क) रा.रा.क्षे.योजना बोर्ड द्वारा परियोजना की सहायता के लिए, बोर्ड परियोजना की लागत का 75% तक ऋण देती है ।
- ख) राज्य सरकारों की परियोजनाएं विभिन्न विकास अभिकरणों, स्थानीय निकायों, आवास बोर्ड, औद्योगिक विकास निगमों आदि द्वारा कार्यान्वित की जाती है ।
- ग) रेलवे, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जहाज़रानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदि केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं को वित्तपोषित करना, और
- घ) अवसंरचनाओं में निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश ।

बोर्ड के पास निम्नलिखित स्रोतों से निधि उपलब्ध है:

- क) शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान
- ख) दिल्ली सरकार से अंशदान
- ग) बाजार से उधार लेना (कर योग्य तथा कर-मुक्त बॉण्ड)
- घ) आंतरिक उपचय (ब्याज की आय)

Immediate steps are therefore required for:

- Evolving stable and transparent official policies for entry and functioning of private enterprises in a competitive environment
- Establishing single window system for processing official clearances for development projects
- Adopting independent regulatory mechanisms
- Creating modalities for expeditious settlement of disputes between private and official agencies involved in the development projects
- Setting up machinery for quick redressal of grievances of targeted beneficiaries (consumers) of various project components

The following components could be undertaken by the private sector, some of them exclusively and some others jointly with the Central and State agencies.

- Acquisition and development of land
- Industries and wholesale trade
- Social infrastructure, local and trunk services
- Construction of block housing
- Construction of expressways
- Mass transport system
- Power generation
- Power transmission and distribution
- Telecom services

19.3 RESOURCE MOBILISATION

The most important element required for achieving success of a Plan is the availability of the resources. Financing of various projects is critical to the success of the NCR Plan. It is necessary to have large investments in infrastructure such as transportation, power, water and telecom and also in social sectors such as health and education.

Funds for development activities in the NCR are available mainly from four sources:

- a) NCRPB assisted projects, the Board provides loan up to 75% of the cost of the project.
- b) State Government projects are implemented by various development authorities, local bodies, housing boards, industrial development corporations etc.
- c) Projects funded by Central Ministries such as Railways, Communications and Information Technology, Shipping, Road Transport and Highways etc. and
- d) Private sector investment in infrastructure.

The funds available with the Board are from the following sources:

- a) Grant from the Ministry of Urban Development
- b) Contribution from Delhi Government
- c) Market borrowing (Taxable and Tax-free bonds)
- d) Internal accruals (Interest income)

बोर्ड को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध कराए संसाधनों का सारांश निम्नलिखित हैः

सारणी 19.1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा संसाधन संग्रहण (करोड़ में)

पंच-वर्षीय/वार्षिक योजना	योजना की लागत (मांगी गई)	योजना के लिए आबंटित	केन्द्र सरकार द्वारा दी गई योजना निधि	एन.सी.टीदिल्ली सरकार का अंशदान	बॉण्ड/उधार पर*	ऋण वितरण
1	2	3	4	5	6	7
7वीं योजना	200.00	35.00				
1985-86			3.90			3.75
1986-87			4.25			4.00
1987-88			6.00			7.23
1988-89			7.92			9.36
1989-90			7.60			9.20
उप-योग			29.67			33.54
वार्षिक योजना	22.25	22.25				
1990-91			10.00			12.02
1991-92			12.25			21.14
उप-योग			22.25		-	33.16
8वीं योजना	640.00	200.00				
1992-93			10.00			8.87
1993-94			20.00	3.50		15.78
1994-95			25.00	3.00		14.18
1995-96			40.00	3.50		109.75
1996-97			40.00	3.75	60.00	146.85
उप-योग			135.00	13.75	60.00	295.43
9वीं योजना	800.00	224.00				
1997-98			42.00	15.00	226.40	84.27
1998-99			45.00	20.00	285.00	206.81
1999-2000			42.00	30.00		238.45
2000-01			45.00	30.00	152.40	159.57
2001-02			50.00	25.00	234.75	271.91
उप-योग			224.00	120.00	898.55	961.01
10वीं योजना	3000	350.00		#250.00		
2002-03		55.00	55.00		_	110.86
2003-04		52.00	52.00	30.00	_	274.08
2004-05		55.00	61.70	30.00		275.72
उप-योग		162.00	168.70	60.00	0.00	660.66
	कुल	162.00	579.62	193.75	958.55	1983.80

^{*} कुल ऋण में से रूपये 898.55 करोड़ बॉण्ड का निजिस्थापन के रूप में पूंजी बाज़ार से, शेष रूपये 387.15 करोड़ आज की तारीख़ में बकाया है तथा बाकी चूका दिया गया है। # दसवीं योजना के लिए एन.सी.टी.-दिल्ली सरकार द्वारा रूपये 580 करोड़ की मांग के ऐवज़ रूपये 250 करोड़ अनुमोदित करें।

तथापि, उपर्युक्त से, यह स्पष्ट है कि क्षेत्र में बड़े-पैमाने की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रा.रा.क्षे.यो.बो. में संसाधनों से प्रतिबंधित है जिसके वजह से क्षेत्रीय योजना-2001 में परिकल्पित क्षेत्रीय अवसंरचना को कार्यान्वित नहीं कर पाई । क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के पास संसाधन प्रतिबंधों को देखते हुए तथा संयुक्त रूप से परियोजनाओं के वित्तपोषण वर्तमान रूपात्मकताओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के पास अपने संघटक राज्यों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रबंधित करने की सुविधा नहीं है ।

मुद्दे तथा नीतियां

विशेष घटक योजना

विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले विकास गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए सभी स्रोतों से उपलब्ध निधि पर एक व्यापक विचार करने की आवश्यकता है । समर्पित निधि की एक यंत्रावली के बिना, क्षेत्रीय योजना में परिकल्पित विभिन्न गतिविधियों को प्रभावशाली रूप से करना संभाव्य नहीं होगा । इस को एक 'विशेष घटक योजना' के जिरए विचारणीय सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक 'विशेष घटक योजना' को योजना आयोग द्वारा तैयार की

The resources became available to the Board through various sources are as summerised below:

Table 19.1: Resource mobilization by NCR Planning Board (Rs. in Crores)

Five-year/ Annual Plans	Plan outlay (sought)	Plan allocation	Plan Funds released by Central Government	GNCT-Delhi Contribution	Bonds/Line of Credit*	Loan Released
7 th Plan	200.00	35.00				
1985-86			3.90			3.75
1986-87			4.25			4.00
1987-88			6.00			7.23
1988-89			7.92			9.36
1989-90			7.60			9.20
Sub-total			29.67			33.54
Annual Plans	22.25	22.25				
1990-91			10.00			12.02
1991-92			12.25			21.14
Sub-total			22.25			33.16
8 th Plan	640.00	200.00				
1992-93			10.00			8.87
1993-94			20.00	3.50		15.78
1994-95			25.00	3.00		14.18
1995-96			40.00	3.50		109.75
1996-97			40.00	3.75	60.00	146.85
Sub-total			135.00	13.75	60.00	295.43
9 th Plan	800.00	224.00				
1997-98			42.00	15.00	226.40	84.27
1998-99			45.00	20.00	285.00	206.81
1999-2000			42.00	30.00		238.45
2000-01			45.00	30.00	152.40	159.57
2001-02			50.00	25.00	234.75	271.91
Sub-total			224.00	120.00	898.55	961.01
10 th Plan	3000	350.00		#250.00		
2002-03		55.00	55.00			110.86
2003-04		52.00	52.00	30.00		274.08
2004-05		55.00	61.70	30.00		275.72
Sub-total		162.00	168.70	60.00	0.00	660.66
Total		162.00	579.62	193.75	958.55	1983.80

Out of total loan from capital market in the form of private placement of Bonds of Rs. 898.55 crores, balance of Rs. 387.15 crores is outstanding as on date and the rest has been redeemed.

However, from the above, it is clear that there have been resource constraints with NCRPB in financing large-scale projects in the region due to which the regional infrastructure envisaged in the Regional Plan-2001 could not be implemented. In view of the resource constraints with the NCRPB in financing development programmes in the region and in the light of the existing modalities of jointly funded projects, the NCRPB do not have the facility of providing any financial assistance to its constituent states as grant.

Issues and Strategies

Special Component Plan

A comprehensive view of the fund available from all the sources is required to be taken so as to integrate development activities undertaken by various agencies. Without a mechanism of dedicated fund, it would not be feasible to effectively undertake various activities envisaged in the Regional Plan. This can be achieved to a considerable extent through a 'Special Component Plan'. There should be a mechanism of 'Special Component Plan' for the NCR to be established as a part of five-year plans prepared by the

[#] Rs.250 approved by GNCT-Delhi against demand for Rs 580 crores for the Tenth Plan

गई पंच-वर्षीय योजनाओं का भाग बनाने के लिए एक यंत्रावली होनी चाहिए । अपेक्षित निधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भागीदारी राज्यों के साथ ही साथ केन्द्रीय जहाज़रानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विद्युत मंत्रालयों के लिए योजना के उप-घटक के रूप में योजना आयोग द्वारा आबंटित करनी चाहिए । तथापि, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तथा भागीदारी राज्यों को योजना को अपनी संकेतिक अनुमोदन के ऊपर जाना चाहिए । उन्हें क्षेत्रीय योजना-2021 को स्वयं अपनी योजना के रूप में मान्यता देनी चाहिए तथा उसकी नीतियों, परियोजनाओं तथा प्रस्तावों को अपनी पंच-वर्षीय व वार्षिक योजनाओं और कार्य के कार्यक्रमों में प्रतिबिंबित करते हुए, अपनी भौतिक तथा वित्तीय प्रयत्नों के जरिए, कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए ।

आगे, यह अत्यावश्यक है कि साधारण बजटीय सहायता और आई.ई.बी.आर. के अतिरिक्त संसाधन जनन करने के लिए और नवाचारी यंत्रावली समन्वेषित की जानी चाहिए, ताकि परिकल्पित विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन यथोचित समय-सीमा के अंदर किया जा सके ।

क्योंकि वित्तपोषण की प्रणाली योजना आबंटन के आधार पर हाने की वजह से इसे नई नीति प्रणाली के अन्तर्गत कम से कम करना है तथा प्राथमिकता क्षेत्रों द्वारा वित्तीय संसाधनों की मांग केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए उल्लेखनीय योजना आबंटन की वृद्धि करने की अनुमित नहीं देती है, इसलिए क्षेत्रीय योजना-2021 में परिकल्पित परियोजनाओं के लिए संसाधनों का संग्रहण करने के लिए वैकल्पिक नवाचारी यंत्रों को समन्वेषित करना चाहिए । हाल ही के वर्षों में, केन्द्रीय सरकार ने शहरी अवसंरचना के विकास के लिए संसाधनों के संग्रहण में सहायता के रूप में अनेक वित्त प्रोत्साहनों को उपलब्ध कराया है । इसमें कर-मुक्त नगरपालिका बॉण्ड को जारी करने की अनुमित देना, शहरी अवसंरचना जैसे जल आपूर्ति एवं स्वच्छता को शामिल करने के लिए अवसंरचना की परिभाषा को विस्तृत करना शहरी अवसंरचना में प्रत्यक्ष विदेश निवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाना तथा बाहरी सहायता प्राप्त शहरी क्षेत्र परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना शामिल है । शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने कर-मुक्त नगरपालिका बॉण्डों के लिए दिशा-निर्देश दिनांक 08.02.2001 को जारी किये ।

यह सिफारिश की जाती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए पूंजी बाजार को अभिगमित तथा परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से सक्षम बनाकर निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने के जरिए से बाजार आधारित निधि का सहारा लेना चाहिए । तथापि, ऐसा करना, प्रभावी शहरी प्रबंधन पर सांयोगिक है जो कि संशोधनीय है उचित अनुकूल उधार कोटि के लिए तथा ऋण तंत्रों के रूप में निर्वेशकों को उपयुक्त वित्त रियायत प्रदान करता है ।

अभी भी वर्तमान स्थानीय करों से राजस्व जनन में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश विद्यमान है । देश के लगभग सभी राज्यों में कर प्रशासन की निम्न से प्रतिबंधित है :

- (i) कर प्रशासन का अधिक-प्रभावी-शाली न होना तथा
- (ii) प्रमुख कर-संपत्ति कर के प्रशासन में सामने आयी कठिनाईयां ।

कर प्रशासन में बीमारियां मांग के उचित मूल्यांकन अभाव, बिलिंग तथा वसूली से संबंधित हैं । नगरपालिका कर्मचारियों तथा करदाताओं के लिए प्रोत्साहन तथा दंडों के कार्यक्रम के जरिए से कर वसूली तथा अतिरिक्त राजस्व सृजन को सुनिश्चित किया जा सकता है ।

संसाधन के रूप में भूमि

शहरी भूमि एक मूल्यवान परि-संपत्ति है जिसका कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अत्यंत विवेक-सम्मित से प्रारंभिक विकास के ऋणों के पुनर्भुगतान को वित्तपोषित तथा भावी विकास योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए संसाधनों को उन्नत करने में उपयोग करना चाहिए । समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की वजह से रा.रा.क्षे. नगरों में निजी क्षेत्र की परियोजनाएं भी संभावनीय रूप से अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगी तथा इसलिए उनकी परि-संपत्ति में पर्याप्त मूल्य जुड़ जाएगा । अतः, इस वास्तविक मूल्य वृद्धि के एक भाग को विकास/उन्नति प्रभारों के रूप में वसूल करना काम्य है तथा इसको भूमि लागत के भारण के रूप में क्षेत्र की आगे के विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए ।

Planning Commission. The requisite fund should be allocated by the Planning Commission as a Sub-component of the plan in respect of Central Ministries of Shipping, Road Transport and Highways, Railways, Communications and Information Technology and Power as well as the participating States of the NCR. However in order to achieve these objectives, all Central Ministries and the participating States have to go beyond their token approval to the Plan. They have to recognise the Regional Plan-2021 as their own Plan and accept the responsibility of implementing its policies, projects and proposals through their physical and financial effort, reflecting it in their five-year and annual plans and work programmes.

Further, it is imperative that more innovative mechanism of resource generation are explored in addition to normal budgetary support and IEBR, so that the envisaged development programmes could be implemented within a reasonable time-frame.

As the system of funding based on Plan allocations has to be minimized under the new policy regime and the demand for financial resources by the priority sectors may not permit the Central government to enhance the Plan allocations significantly for the development of NCR, alternative innovative instruments for mobilizing resources for the projects envisaged in the Regional Plan-2021 will have to be explored. In recent years, the Central Government has provided several fiscal incentives to help mobilisation of resources for urban infrastructure development. These include permitting the issuance of tax-free Municipal Bonds, broadening the definition of infrastructure to include urban infrastructure such as water supply and sanitation, removing restrictions on Foreign Direct Investment in urban infrastructure, and encouraging externally assisted urban sector projects. The Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation issued on 08.02.2001 guidelines for tax-free Municipal Bonds.

It is recommended that market based funds through accessing the capital market and the involvement of the private sector by making the projects commercially viable should be resorted to in the financing of urban infrastructure in the NCR. This is, however, contingent on effective urban management that could be amenable to fairly good credit rating and offering suitable fiscal concessions to the investors in the debt instruments.

There exists enough scope to enhance revenue generation from the existing local taxes. Tax administration in almost all the states in the country is constrained by

- (i) not-so-effective tax administration and
- (ii) difficulties encountered in administration of the major tax-the Property Tax.

The maladies in tax administration relate to lack of proper assessment of demand, billing and collection. Tax collection and generation of additional revenue could be ensured through a scheme of incentives and penalties for municipal staff and the taxpayers.

Land as Resource

Urban land is a highly valuable asset that should be very judiciously used to raise resources by the implementing agencies to fund the repayment of loans taken for initial development and for funding future development programmes. Even the private sector projects in the NCR towns are likely to derive large benefits because of the overall NCR development and hence a considerable value would be added to their assets. It is therefore, desirable that a part of this net value addition should be recovered in the form of development/betterment charges and use the same for funding further development programmes in the region by loading it on to the land cost.

उपयुक्त दामों तथा वितरण यंत्रावली के द्वारा भूमि का अनुकूलतम उपयोग तथा भूमि उपयोग नियंत्रण उपायों से क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को अतिरिक्त विकास कार्य करने के लिए प्रचुर बचत राशि उत्पन्न हो सकती है ।

निम्नवत कुछ एक पद्धतियां जिनके द्वारा भूमि को क्षेत्र में विभिन्न शहरी विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए एक सक्षम संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है:

- क) भविष्य की आवश्यकताओं के उपयोग के लिए सार्वजनिक अभिकरणों हेतु भूमि अधिकोष का सृजन करना ।
- ख) निजी क्षेत्र को भूमि का विकास करने की अनुमति देना तथा अनुमत्त विकास के खाते पर मूल्य का एक भाग वसूल करना ।
- ग) अंतरणीय विकास अधिकार (टी.डी.आर.) को अनुदान करना, प्रारंभिक योगदान के रूप में भूमि प्रबंधित कर, नवाचारी पद्धतियों जैसे बी.ओ.टी., बी.ओ.एल.टी., बी.ओ.ओ.टी. आदि पर अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषित करना ।
- घ) निजी क्षेत्र द्वारा बहुमूल्य भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने की अनुमित देना तथा उस भूमि के अधिभोगियों के लिए सामाजिक आवास/विकास के रूप में प्रतिलाभ लेना ।
- ड़) उस पर स्थित औद्योगिक इकाईयों के स्थानांतरण/पुनःस्थापन सुगमिकृत कर भूमि को रिसाइकिल करना ।

उपभोक्ता प्रभार

गैर-कर स्रोतों में, लागत वसूली में संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण यंत्रावली उपभोक्ता प्रभार हैं । जल आपूर्ति, मल-जल व्यवस्था, शहरी परिवहन, ठोस कचरा एकत्रण तथा उद्यान उपभोक्ता प्रभार के लिए उत्तीर्ण हैं । लागत वसूली के आर्थिक तर्काधार अपरिहार्य है कि उपभोक्ता प्रभार एक सेवा की प्रतिबंधित ईकाई लागत पर आधारित होनी चाहिए । तथापि, वास्तविक कार्यप्रणाली में नगरपालिका सरकारें अनुरक्षण लागत भी वसूल नहीं कर रही हैं । शहरी स्थानीय निकाय राजनेतिक के साथ ही साथ उपभोक्ताओं के दबाव के कारण उदग्रहण उपभोक्ता प्रभार नहीं लगाते जिससे परिचालन तथा अनुरक्षण लागत कम से कम वसूल की जा सके ।

निजी क्षेत्र

जैसा कि प्रबंधन संरचना में बताया गया है निजी क्षेत्र उद्यमियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए । उनके निरंतर भागीदारी को संपोषित रखने के लिए, उनकी प्रति-पक्ष सरकारी अभिकरणों के साथ पारस्परिक विश्वास और सहयोग का वातावरण सृजित किया जाना चाहिए ।

पुनःसंरचना तथा सुधार

अवसंरचना को अभिगम तथा निजी वित्त को परियोजना दर परियोजना आधार पर, खंडित रूप से संपोषित नहीं रखा जा सकता है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह ज्यादातार मान्यता दी जा रही है कि अवसंरचना विकास की वहनीय आखिर में शहरी केन्द्रों के संपूर्ण प्रबंधन तथा भरोसा-योग्यता द्वारा निर्धारित कर सकती है । अंतर्राष्ट्रीय अनुभव सुझाव करते हैं कि शहरी क्षेत्र में केन्द्रीय तथा राज्य वित्त अंतरण की सफलता शहरों की अपनी कुशलता पर आश्रित है । सरकारी धनराशि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करते हुए अवसंरचना पूंजी निवेश के कार्यक्रम को दीर्धकाल तक संपोषित रखने के लिए प्रबंधन कुशलता तथा भरोसा-योग्यता को प्राप्त करने के लिए शहरों के सांस्थिनिक, वित्त तथा आर्थिक प्रणालियों में सुधार की ज़रूरत है । जहां भी नगर स्तर पर सुधार संभाव्य नहीं हैं, व्यवस्थित सुधार संकटापन्न सेवाओं, जैसे जल और स्वच्छता पर केन्द्रित, एक समकक्ष महत्वपूर्ण विकल्प है । चुने हुए क्षेत्रों में ऐसे व्यवस्थित सुधारों को सेवाओं के प्रबंधन, वित्तपोषण तथा सुपुर्दगी में उल्लेखनीय निजी क्षेत्र भागीदारी पर केन्द्रित होनी चाहिए । शहर स्तर अथवा विशेष क्षेत्र स्तर पर इन सुधारों के बिना, शहरी अवसंरचना में निजी पूंजी निवेश का अंतर्वाह सुनिश्चित करना संभव नहीं है ।

Optimal utilization of land through appropriate pricing and distribution mechanisms and land use control measures can yield substantial surpluses for the Area Development Authorities for undertaking additional development works.

Some of the methods through which land could be used as a viable resource for financing various urban development programme in the region are as follows:

- a) Creation of land banks by the public agencies for utilization for future requirements
- b) Permitting the private sector to develop the land and recovering a part of the value added on account of such permitted development
- c) Granting of transferable development rights (TDR), funding of infrastructure projects on innovative methods like BOT, BOLT, BOOT etc. by providing land as initial input
- d) Permitting commercial use of precious land by the private sector and deriving returns in the form of social housing/development for the occupants of that land
- e) Recycling of land for facilitating the shifting/relocation of industries units located thereon, etc.

User Charges

Amongst the non-tax sources, the user charges happen to be the most important mechanism of cost recovery. Water supply, sewerage, urban transport, solid waste collection and parks qualify for imposition of user charge. The economic rationale of cost recovery entails that the user charges have to be based on the unit cost of providing a service. In actual practice, however, the municipal governments are not recovering even the maintenance cost. Urban Local Bodies do not levy user charges that recover at least the operations and maintenance costs due to political as well as consumer pressures.

Private Sector

Private sector entrepreneurs should be motivated to get involved in the development programmes in the NCR as discussed in the management structure. In order to sustain their continued participation, a climate of mutual trust and cooperation with their counter-part public agencies should be created.

Restructuring and Reforms

Access to infrastructure and private finance cannot be sustained on a piecemeal, project-by-project basis. Internationally, it is being increasingly recognized that the sustainability of infrastructure development is ultimately determined by the overall management and creditworthiness of urban centers. International experience also suggests that the success of Central and State fiscal transfers into the urban sector is dependent on the efficiency of cities themselves. Reforms in institutional, fiscal and economic systems of cities will be necessary to achieve the management efficiency and credit-worthiness that will sustain a long-term programme of infrastructure investments based on private finance while ensuring the effective utilisation of public funds. Wherever citywide reform is not feasible, systematic reforms focused on critical services, like water and sanitation, is an equally important option. Such systematic reforms in selected sectors would have to be centered on significant private sector participation in the management, financing and delivery of services. Without these reforms at the citywide level or specific sectoral level, it would not be possible to ensure the inflow of private investment in urban infrastructure.